(v) to identify problems and take up research and development studies for providing support to excellence in sports;

(vi) to promote international cooperation,, in particular, exchanges which may promote the development of indigenous sport and human resources as also the activities which are within the amount of Exchange Programmes entered into between India and other countries; and

(VH) to provide low interest or interest free loans for projects and activities related to any of the aforesaid objects.

(d) Does not arise in view of reply to (a) & (b) above.

रोजगार सृजन

*127. **श्री उदय प्रताप सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षो में 70 करोड़ लोगों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित करने की योजना बनाई है **;** और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री एम. वी. राजासेखरन्**) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा यथा अनुमोदित और राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा विचार किए जाने हेतु प्रस्तुत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दृष्टिकोण पत्र में ग्यारहवीं योजना के लिए मानीटर करने योग्य समाजार्थिक लक्ष्यों में से एक लक्ष्य के रूप में 70 मिलियन अथवा 7 करोड़ कार्य अवसरों के सृजन का प्रस्ताव किया गया है ।

12.00 Noon

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report of the Prime Minister's High Level Committee on Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF

STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SURESH PACHOURI): Sir, on behalf of Shri A.R. Antulay, I lay on the Table:

(i) A copy (in English) of the Report of the Prime Minister's High Level Committee (headed by Justice Rajender Sachar) on Social, Economic and Educational status of the Muslim Community of India.

(ii) Statement (in English and Hindi) giving reasons for not laying simultaneously the Hindi Version of the Report at (i) above. [Placed in Library. *See* No. LT 5075/06]

श्री सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश) **:** सभापति जी, नेता प्रतिपक्ष दल बैठे हैं और प्रधान मंत्री जा रहे है । सर, आपने कहा थ कि बादस में जवाब दिलवा देंगे । वे जा रहे हैं । ...(**व्यवधान**)... सर, यह जो paper to be laid है, इसके पहले वाले क्रम में मेरा एक प्वायंट ऑफ ऑर्डर है ...(**व्यवधान**)... सर, यह जो पहले क्रम पर पेपर है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो रखी जा रही है, इसमें मेरा दो बिन्दुओं पर व्यवस्था का प्रश्न है । मैं चाहूंगी कि पेपर ले करने से पहले मंत्री जी उसका जवाब दे दें ।

सर, पहला बिन्दु तो यह है कि संसदीय गरिमा का तकाज़ा है ...(**व्यवधान**)... सभापति जी, संसदीय नियमों और संसदीय गारिमा का तकाज़ा है कि जब भी कोई कमेटी अपनी रिपोर्ट दे, तो सबसे पहले वह संसद के दोनों सदनों में रखी जानी चाहिए , लेकिन मुझे दुख से यह कहना पड़ रहा है कि यह रिपोर्ट पहले ही अखबारों को दे दी गई । यह देखिए Indian Express में 14वीं किश्त निकली है ...(**व्यवधान**)... सर, बाकायदा पार्ट – 14th ...(**व्यवधान**)... 14वीं किश्त निकली है । इसका मतलब यह है कि ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : ठीक है , मैं आपकी बात समझ गया ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह 14 दिनों से धारावाहिक के तौर पर प्रकाशित की जा रही है । तो सदन में रखने से पहले यह रिपोर्ट अखबारों को कैसे गई और संसदीय गारिमा का उल्लंघन क्यों हुआ? इसका जवाब चाहिए ।

दूसरे, इस बात का भी जवाब चाहिए, सर, कि 27 तारीख को यह रिपोर्ट रखी जानी थी और हम सब को यह सूचना दे दी गई थी कि 27 तारीख को यह रिपोर्ट lay होगी, लेकिन बाद में यह कहा गया कि इसका हिन्दी अनुवाद नहीं हो सका है, इसलिए हिन्दी वर्शन के कारण लेट होगी और बाद में रखी जाएगी । यह आज 30 तारीख को रखी जा रही है । ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है । ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : लेकिन आज भी मंत्री महोदय वक्तव्य दे रहे है कि हिन्दी का अनुवाद साथ में नही है । अगर इसी वक्तव्य के साथ रखी जानी थी, तो 27 को ही रख दी जाती और अगर 27 को इसलिए रोकी गई थी कि हिन्दी वर्शन साथ में दिया जाएगा, तो आज हिन्दी वर्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है? मंत्री महोदय पहले इन दोनों बातों का जवाब दें, उसके बाद पेपर lay करें । ...(**व्यवधान**)... यह मेरी आपसे प्रार्थना है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : देखिए, यह प्वायंट ऑफ ऑर्डर तो है नही । यह propriety का क्वैश्चन है । अगर माननीय मंत्री महोदय कहना चाहें , यो कह सकते है ...(**व्यवधान**)... अगर कहना चाहें तो ।

कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री सुरेश पचौरी**) : सम्मानित सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्या जी ने कहा कि यह रिपोर्ट पहले 27 तारीख को सदन के पटल पर प्रस्तुत की जानी थी । लेकिन, जो संबंधित विभाग के मंत्री है, उन्होंने बाद में लिखित पत्र के द्वारा यह सूचित किया कि इस रिपोर्ट को आज प्रस्तुत करना है, तदनुसार यह आज प्रस्तुत की जा रही है । पहली बात तो यह है । दूसरी जो बात कही गई ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : उन्होंने तो कहा ही होगा, लेकिन क्यों? इस बात का जवाब दीजिए न? मंत्री जी ने तो कहा कि अभी आप lay कर रहे है । हमारा कहना यह है कि 27 को आपने इसलिए रोकी कि इसका हिन्दी अनुवाद नहीं है । या तो आज हिन्दी अनुवाद के साथ देते, लेकिन अगर वर्जन यही आना था, एक वक्तव्य आएगा कि हम हिन्दी अनुवाद नहीं दे रहे हैं, तो 27 को ही दे देते । क्यों का जवाब चाहिए न? जो आप कर रहे हैं, वह तो दिख ही रहा है । क्यों का जवाब दीजिए?

श्री सुरेश पचौरी : तिथि बढाने का जो कारण है , उसमें केवल यह कारण नहीं था कि इसका ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : यही था ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी : नहीं केवल नहीं था? ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : लिख कर भेजा था ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी : केवल यह नहीं था । या तो फिर आप बोल लें, मैं बैठ जाता हूं । प्रश्न भी आप कर लें और उत्तर भी आप ही दे दें ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : हमें वह चिट्ठी दिखाई गई ...(**व्यवधान**)...

[**श्री उपसभापति पीठासीन हुए**]

श्री सुरेश पचौरी : बात ऐसी नहीं है ...(**व्यवधान**)... माननीय उपसभापति महोदय, यह एक बहुत voluminious report है । मंत्री जी ने अपने पत्र में लिखित रूप में इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि इतने कम समय में इतनी voluminious report का हिन्दी ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है, इसका शीघ्रातिशीघ्र हिन्दी में ट्रांसलेशन कर के उपलब्ध करा देंगे । लेकिन चूंकि इसमें दोबारा फिर से तिथि बढ़ाने की और आवश्यकता पड़ती तथा और भी कुछ कारण थे, लेकिन उन कारणों में मैं विस्तार से न जाकर आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है? ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : चिट्ठी में एक ही कारण लिखा है ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी : यह कमीशन ऑफ इनक्वायरी एक्ट के तहत बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट नहीं है । यह एक ऐसी कमेटी है, जो administrative reforms को दृष्टिगत करते हुए और अल्पसंख्यकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है । मैं सदन से आग्रह करना चाहूंगा कि जैसे ही इसका हिन्दी रूपांतरण होगा, वह उपलब्ध करा दिया जाएगा । ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : नहीं, नहीं । Parliamentary propriety का क्या हुआ ? ...(**व्यवधान**)... मेरा पहला बिन्दु Parliamentary propriety का है । यह लगातार 14 दिनों से अखबार में आ रहा है । ...(**व्यवधान**)... लगातार 14 दिनों से अखबार में आ रहा है । ...(**व्यवधान**)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया (झारखंड) : क्या यह सच है कि इसका उर्दू का तर्जुमा हो गया है ...(**व्यवधान**)... क्या यह सच है कि इसका उर्दू का तर्जुमा हो गया है ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : लगातार 14 दिनों से अखबार में आ रही है । Parliamentary propriety का उल्लंघन क्यों हुआ? सर, मेरे दोनों में से किसी सवाल का जवाब नहीं आया ...(**व्यवधान**)... Parliamentary propriety का उल्लंघन क्यों हुआ ? ...(**व्यवधान**)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : माननीय मंत्री महोदय, जरा यह बताइए कि क्या यह सच है कि हिन्दी का तर्जुमा नहीं हुआ और इसका उर्दू हो गया ...(**व्यवधान**)... उसका उर्दू का तर्जुमा हो गया ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: The report which is being laid today has already been published by the newspapers. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज : 14वीं किस्त आई है आज । This is the fourteenth instalment ...(**व्यवधान**)... सर, कोई जवाब नहीं आया मेरी दोनों बातों का । ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आपने कह दिया, हाऊस ने नोटिस ले लिया । ...(**व्यवधान**)... चेयरमैन साहब ने कहा है कि it is not a question of point of order, it is a question of propriety उन्होंने जवाब ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : सर, यह लीक हुई है या दी गई है, क्या है ? ...(**व्यवधान**)... आखिर कोई संसदीय गरिमा है या नहीं ? ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी : लीक नहीं हुई है । ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : मंत्री जी का कहना है कि लीक नहीं हुई है । ...(**व्यवधान**)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : फिर छपी कैसे ? अगर लीक नहीं हुई है तो फिर कैसे ? ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : लीक नहीं हुई तो क्या चोरी हुई है ? ...(**व्यवधान**)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : लीक नहीं हुई है तो फिर छपी कैसे ? ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: We have been reading this Report in the newspapers for the last fourteen days. ...*(Interruptions)*...

I. Notification of the Ministry of Urban Development

II. Administration Report (2005-2006) of the Delhi Development Authority

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI S. JAIPAL REDDY): Sir, I lay on the Table:

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Urban Development Notification G.S.R. 485 (E) dated the 18th August, 2006 publishing corrigendum to the Notification No. 502 dated the 8th December, 2005 pertaining to modification of Recruitment Regulations for the posts of Senior Stenographers, UDCs, Assistants and Welfare/Personnel Inspectors, in the Delhi Development Authority. [Placed in Library. *See* No. L.T. 5101/06]